ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

संयुक्त विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
(लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती, बरेली, बांदा, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी एवं इलाहाबाद मण्डल)
(संलग्न ग्रिड संख्या–सी0–0028/बजट/2018–19 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार)

पत्रांक–सी0–0028/बजट अनु0/जे0डी0सी0/2018–19 दिनांकः: 05 फरवरी, 2019

विषय–वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–2515 के अन्तर्गत 04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत 49–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–05/2018/537/38–3–2018–1104/2017 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय" के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति रूपये 16,05,86,800.00 (रू0 सोलह करोड़ पॉच लाख छियासी हजार आठ सौ मात्र) में से संलग्न एलाटमेन्ट ग्रिड संख्या–सी0–0028/बजट/2018–19 दिनांक 05 फरवरी, 2019 में दिये गये विवरण के अनुसार रू0 4,41,788.00 (रू0 चार लाख इक्तालीस हजार सात सौ अठ्ठासी मात्र) 49–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपको आवंटित की जाती है:–

1– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो ।

3– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि के संबंध में निर्देशित करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 दिनांक 20–9–2011 के भाग–5 के प्रस्तर संख्या–21 के अनुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी शीर्ष से आहरित की जायेगी, जिससे सामान्यता वेतनभत्ते और पेंशन आहरित किये जाते है। अतएव भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित कार्मिक को भुगतान उसी शीर्ष से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उसके वेतन भत्ते आदि भुगतान हुये है। तद्क्रम में संलग्नक संख्या–1 में अंकित सूची के अनुसार संबंधित को भुगतान कराना सुनिश्चित करें साथ ही धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृति संबंधी आदेश सक्षम स्तर से निर्गत किया गया हो एवं संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि कोई चिकित्सा व्यय अग्रिम स्वीकृति किया गया हो, तो उसका समायोजन कर लिया जाय किसी भी दशा में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोहरा भुगतान न होने पाये उपर्युक्त शर्तों तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के उल्लंघन अथवा दोहरे भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी ।

क्रमशः–पृष्ठ–2/–

4– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि के संबंध में निर्देशित करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 दिनांक 20–9–2011 एवं यथा संशोधित नियमवली 2016 तथा शासनादेश संख्या–3387/पांच–6–2018–05(रिट)/2018, दिनांक 25–10–2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–377/2018/3893/पांच–6–2018–05(रिट)/2018, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या–23/2019/126/पांच–6–2019–05(रिट)/2018, दिनांक 16 जनवरी, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

5– इसके अतिरिक्त वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्य–1/2018/बी0–1–375/दस–2018–231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–'2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

7– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–04 पर अंकित कर ली गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्ण रिकन्साइल्ड़ मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–4) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख़ तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक–सी0–0028/बजट अनु0/जे0डी0सी0/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती, बरेली, बांदा, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी एवं इलाहाबाद मण्डल, उ0प्र0 (संलग्न ग्रिड संख्या–सी0–0028/बजट/2018–19 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन ।
4– संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
5– मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती, बरेली, बांदा, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी एवं इलाहाबाद, उ0प्र0 को (संलग्न ग्रिड संख्या–सी0–0028/बजट/2018–19 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।
6– गार्ड फाईल हेतु ।

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

4— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि के संबंध में निर्देशित करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली—2011 दिनांक 20—9—2011 एवं यथा संशोधित नियमवली 2016 तथा शासनादेश संख्या—3387/पांच—6—2018—05(रिट)/2018, दिनांक 25—10—2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या—377/2018/3893/पांच—6—2018—05(रिट)/2018, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या—23/2019/126/पांच—6—2019—05(रिट)/2018, दिनांक 16 जनवरी, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

5— इसके अतिरिक्त वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—1195/दस—16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्य—1/2018/बी0—1—375/दस—2018—231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6— आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018—2019 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—13 के अधीन लेखाशीर्षक—'2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

7— उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—04 पर अंकित कर ली गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्ण रिकन्साइल्ड़ मासिक व्यय विवरण (बी0एम0—4) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख़ तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय ।

भवदीय,

संलग्नक—यथोक्त

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक—सी0—0028/बजट अनु0/जे0डी0सी0/2018—19 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती, बरेली, बांदा, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी एवं इलाहाबाद मण्डल, उ0प्र0 (संलग्न ग्रिड संख्या—सी0—0028/बजट/2018—19 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3— विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन ।
4— संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन ।
5— मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती, बरेली, बांदा, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी एवं इलाहाबाद, उ0प्र0 को (संलग्न ग्रिड संख्या—सी0—0028/बजट/2018—19 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।
6— गार्ड फाईल हेतु ।

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/02/2019

प्रेषण संख्या:- 001-C.0028.Budget04.2018.19
आवंटन आदेश संख्या:- 001-C.0028.Budget04.2018.19
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन
04 - विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		49-चिकित्सा व्यय	योग
1	आगरा-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	9125 98159	9125 98159
2	बरेली-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	65936 210534	65936 210534
3	प्रयागराज-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	40954 40954	40954 40954
4	वाराणसी-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	25076 25076	25076 25076
5	गोरखपुर-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	73276 360692	73276 360692
6	बस्ती-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	36963 36963	36963 36963
7	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	21048 92055	21048 92055
8	अयोध्या-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	31416 85267	31416 85267
9	चित्रकूट-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	137994 137994	137994 137994
	योग	वर्तमान प्रगामी	441788 1087694	441788 1087694

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख इक्तालीस हजार सात सौ अठासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस लाख सत्तासी हजार छ: सौ चौरानवे

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त- वित्त

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/02/2019

प्रेषण संख्या:- 002-C.0028.Budget04.2018.19
आवंटन आदेश संख्या:- 002-C.0028.Budget04.2018.19
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन
04 - विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		49-चिकित्सा व्यय	योग
1	बांदा -2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	137994 137994	137994 137994
	योग	वर्तमान प्रगामी	137994 137994	137994 137994

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख सैंतीस हजार नौ सौ चौरानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक लाख सैंतीस हजार नौ सौ चौरानवे

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त- वित्त

संलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की सूची (04–जे0डी0सी0 बजट)			
कम सं0	मण्डल का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धनराशि
		सर्वश्री / श्रीमती	
1	लखनऊ	श्री आशीष कुमार सिंह, प्र0स0 की स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5635.00
2	लखनऊ	श्री हंसराज, व0स0 के पुत्र की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9781.00
3	लखनऊ	श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक की पत्नी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5632.00
		योग	**21048.00**
1	फैजाबाद	श्री संजीत कुमार उपाध्याय, प्रशा0अ0 की पत्नी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	31416.00
		योग	**31416.00**
1	बस्ती	श्री वीरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहा0लेखा0अ0 की पत्नी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	24866.00
2	बस्ती	श्री वीरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहा0लेखा0अ0 की पत्नी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12097.00
		योग	**36963.00**
1	बरेली	श्री गोपाल राम, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11510.00
2	बरेली	श्री ब्रज गोपाल सिंह, क0स0 के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3228.00
3	बरेली	श्री गोपाल राम, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	45344.00
4	बरेली	श्री राम औतार, पत्रवाहक के पुत्र की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5854.00
		योग	**65936.00**
1	बांदा	श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, सं0वि0आ0 के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	137994.00
		योग	**137994.00**
1	गोरखपुर	श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र, क0स0 की स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	57239.00
2	गोरखपुर	श्रीमती कमला देवी, चपरासी की स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	16037.00
		योग	**73276.00**
1	आगरा	श्री ओमवीर, पत्रवाहक के पुत्र की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9125.00
		योग	**9125.00**
1	वाराणसी	श्री धनन्जय कुमार, आशुलिपिक की पत्नी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25076.00
		योग	**25076.00**
1	इलाहाबाद	श्री इन्द्रमान यादव, चपरासी के पुत्र की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	40954.00
			40954.00
		महायोग	**441788.00**
		(रूपये चार लाख इक्तालीस हजार सात सौ अठ्ठासी मात्र)	

5/2/19